सत्यमेव जयते

भारत सरकार

Government of India

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

National Commission for Scheduled Tribes

6th floor, 'B' Wing, Loknayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003.

फ़ाइल क्रमांक RG/4/2018/STGUP/SEOTH/RU-I   दिनाँक 03/05/2018

सेवा में,

जिला अधिकारी,
जिला कुशीनगर,
कुशीनगर - 274402.
उत्तर प्रदेश।

विषय: श्री राधेश्याम गोंड, जिला अध्यक्ष, अखिल भारतीय गोंड आदिवासी संघ, ग्राम - नरकटिया खुर्द पोस्ट - कसया, जिला - कुशीनगर, उत्तर प्रदेश द्वारा कुशीनगर जिले गोंड जाति के व्यक्तियों का जाति प्रमाणपत्र निरस्त करने और गोंड को पिछड़ी जाति में घोषित करने के मामले में आयोग को प्राप्त अभ्यावेदन पर सुश्री अनुसूईया ऊईके, माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनाँक 12/04/2018 के संबंध में।

महोदाय,

उपरोक्त विषय पर दिनांक 12/04/2018 को आयोग के माननीय उपाध्यक्ष सुश्री अनुसूईया ऊईके के समक्ष हुई सिटिंग के कार्यवृत की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु आपको भेजी जा रही हैं। अनुरोध है की कार्यवृत पर राज्य सरकार द्वारा की गयी / की जाने वाली कार्रवाई की रिपोर्ट आयोग को आविलम्ब भिजवाने का कष्ट करें।

भवदीय

(राजेश्वर कुमार)
सहायक निदेशक
दूरभाष: 011-24641640

प्रतिलिपि कार्यवृत की प्रति सहित:

1. श्री राधेश्याम गोंड,
   जिला अध्यक्ष,
   अखिल भारतीय गोंड आदिवासी संघ,
   ग्राम - नरकटिया खुर्द पोस्ट - कसया,
   जिला - कुशीनगर,
   उत्तर प्रदेश।

2. एनआईसीई, एनसीएसटी को आयोग की वैबसाइट पर अपलोड करने के लिए।

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F.No.- RG/8/2018/STGUP/SEOTH/RU-I)

श्री राधेश्याम गोंड, जिला अध्यक्ष, अखिल भारतीय गोंड आदिवासी संघ, ग्राम- नरकटिया खुर्द पोस्ट- कसया, जिला- कुशीनगर, उत्तर प्रदेश द्वारा कुशीनगर जिले मे गोंड जाति के व्यक्तियों का जाति प्रमाण पत्र निरस्त करने और गोंड को पिछड़ी जाति मे घोषित करने के मामले में आयोग को प्राप्त अभ्यावेदन पर सुश्री अनुसुईया उइके, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 12.04.2018 को आयोग में आयोजित सीटिंग का कार्यवृत.

बैठक की तिथि : 12.04.2018

बैठक में उपस्थित अधिकारी : परिशिष्ट 'क'

---

1. श्री राधेश्याम गोंड, जिला अध्यक्ष, अखिल भारतीय गोंड आदिवासी संघ, ग्राम- नरकटिया खुर्द पोस्ट- कसया, जिला- कुशीनगर, उत्तर प्रदेश ने कुशीनगर जिले मे गोंड जाति के व्यक्तियों के प्रमाण पत्र को बिना अभिलेखीय साक्ष्य के निरस्त करने और गोंड को पिछड़ी जाति मे घोषित करने के मामले में आयोग को दिनांक 22.02.2018 को अभ्यावेदन देकर न्याय दिलाने का निवेदन किया।
2. अभ्यावेदन मे लिखा गया था कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले मे गोंड अनुसूचित जाति मे सूचीबद्ध है। श्रीमती ममता गोंड, पुत्री- श्री कुबेर गोंड, ग्राम महुअवा, तहसील- तमकुहीराज, कुशीनगर राजस्व अभिलेख के अनुसार अनुसूचित जाति की गोंड है। उन्होने जब जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया तो उसे बिना किसी अभिलेखीय साक्ष्य के केवल हल्का लेखपाल की रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार द्वारा खारिज कर दिया गया।
3. आयोग ने अभ्यावेदन पर विचार करते हुए दिनांक 23.02.2018 को एक नोटिस भेज कर जिला कलेक्टर, कुशीनगर से जानकारी मांगी। इसके प्रत्युत्तर मे कोई जवाब नही आया। इस बीच अभ्यावेदक ने आयोग से दुबारा न्याय दिलाने हेतु निवेदन किया। आयोग द्वारा पुनः दिनांक 05.03.2018 को एक स्मरण पत्र भेजकर जिला कलेक्टर, कुशीनगर से जानकारी मांगी गई।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

4. आयोग ने अभ्यावेदक के रिज्वाइनडर पर विचार कर जिला कलेक्टर, कुशीनगर को दिनांक 27.03.2018 को नोटिस भेजकर आयोग में दिनांक 12.04.2018 को चर्चा के लिए बुलाया।
5. बैठक मे चर्चा के लिए दिनांक 12.04.2018 को जिला कलेक्टर कुशीनगर उपस्थित हुए ।
6. आयोग ने मामले में अभ्यावेदक से अपना पक्ष रखने को कहा, तब अभ्यावेदक ने आयोग को अवगत कराया कि कुशीनगर जिले मे गोंड जाति के लिए आवेदन पत्र को बिना किसी अभिलेखीय साक्ष्य के निरस्त किया जा रहा है। ऐसे कई मामले सामने आए हैं। अभ्यावेदक ने ऐसे निरस्त किए गए आवेदकों की एक सूची प्रदान की है जो इस प्रकार है:-

क्रम संख्या	*आवेदक का नाम*	*पिता/पति का नाम*	*पता*
1	सुश्री वबिता कुमारी	श्री हिरा गोंड	खड्डा बुजुर्ग (पडरौना)
2	श्री विपिन गोंड	श्री नन्द लाल गोंड	खड्डा बुजुर्ग (पडरौना)
3	श्री बिरबली गोंड	श्री जयनाथ गोंड	बडगांव (पडरौना)
4	श्रीमती इंदु देवी	श्री बिरबली गोंड	बडगांव (पडरौना)
5	श्री सुजीत कुमार	श्री हिरा गोंड	खड्डा बुजुर्ग (पडरौना)
6	श्री सीपियन	श्री नन्दलाल गोंड	खड्डा बुजुर्ग (पडरौना)
7	श्री रामप्यारे	श्री मोतीचंद	पगरा बुजुर्ग (पडरौना)
8	श्री अभिषेक गोंड	श्री रामप्यारे	पगरा बुजुर्ग (पडरौना)
9	श्री विश्वजीत कुमार	श्री रामप्यारे	पगरा बुजुर्ग (पडरौना)
10	श्री वंश राज	श्री दर्शन प्रसाद	पिपरा जतामपुर (पडरौना)
11	श्रीमती सिन्धु	श्री वंश राज	पिपरा जतामपुर (पडरौना)

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

12	श्री उपेन्द्र कुमार	श्री वंश राज	पिपरा जतामपुर (पडरौना)
13	श्री विजेंद्र गोंड	श्री वंश राज	पिपरा जतामपुर (पडरौना)
14	श्री विवेक गोंड	श्री बनारसी प्रसाद	पगरा बुजुर्ग (पडरौना)
15	श्री अजय कुमार	श्री रामप्रीत गोंड	माधोपुर गौजोही (पडरौना)
16	श्री रंजित कुमार	श्री विनोद प्रसाद	पगरा बुजुर्ग (पडरौना)
17	श्री सर्वजीत प्रसाद	श्री विनोद प्रसाद	पगरा बुजुर्ग (पडरौना)
18	श्री नरसिंह कुमार	श्री किशोर गोंड	भिसवा लाला (पडरौना)
19	श्री अतुल गोंड	श्री सुग्रीव गोंड	पगरा बुजुर्ग (पडरौना)
20	श्री सुरेश गोंड	श्री दीपराज गोंड	करमहवा (पडरौना)
21	श्री राम बहाल	श्री दीपराज गोंड	करमहवा (पडरौना)
22	श्री मुन्नी लाल	श्री दीपराज गोंड	करमहवा (पडरौना)
23	श्रीमती शोभा देवी	श्री देवानंद	करमहवा (पडरौना)
24	श्रीमती निर्मला देवी	श्री रामबहाल	करमहवा (पडरौना)
25	श्री विकास गोंड	श्री ओंकार नाथ	थरुआडीह (हाटा)
27	श्री अनुभय गोंड	श्री राजेश कुमार	थरुआडीह (हाटा)
28	श्री सुदर्शन गोंड	श्री श्यामलाल	करमैनी (तमकुही राज)
29	श्री शशिकांत गोंड	श्री सुदर्शन	करमैनी (तमकुही राज)
30	श्री चन्दन	श्री बालखिला	करमैनी (तमकुही राज)
31	श्री सुभाष कुमार	श्री बालखिला	करमैनी (तमकुही राज)
32	श्री कमलेश गोंड	स्व. श्री मुंशी गोंड	सुकरौली (हाटा)

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

7. आयोग ने जिला कलेक्टर, कुशीनगर से इस मामले मे जानकारी मांगी इस पर जिला कलेक्टर, कुशीनगर ने आयोग को अवगत कराया कि उत्तर प्रदेश शासनादेश 2017 के अनुसार किसी की जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के पूर्व जांच का प्रावधान किया गया है। संबन्धित अधिकारी जांच के लिए शासनादेश मे वर्णित चार आधार के संबंध मे शासनादेश मे कहा गया है कि जाति प्रमाण पत्र के लिए केवल 1359 फ़सली वर्ष को आधार नही माना जाय बल्कि निर्विवादित परिवार से स्थलीय जांच, पूछताछ/ कुटुंब रजिस्टर/ विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र को भी देखा जाता है। इसी आधार पर परीक्षण के पश्चात प्रमाण पत्र के आवेदन निरस्त किए गए हैं।

8. आयोग ने मामले में सभी पक्षों को सुनने और दस्तावेजों का परीक्षण करने के पश्चात यह अनुशंसा की है कि- जिला कलेक्टर यह सुनिश्चित करें कि जिले मे किसी तरह से जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के मामले मे अनियमितता नही बरती जाय। किसी भी हल्का लेखपाल और तहसीलदार द्वारा केवल स्थलीय जांच और लोगों से पूछताछ करके जाति प्रमाण पत्र के आवेदन को निरस्त करना उचित नही है। किसी की जाति का निर्धारण करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश मे निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाना जरूरी है। इसके लिए स्थलीय जांच और लोगों से पूछताछ के साथ ही अभिलेखीय साक्ष्य को भी देखा जाना चाहिए। जिला कलेक्टर अभ्यावेदक द्वारा आयोग को प्रस्तुत सूची को जिला स्क्रूटनी कमिटी के समक्ष रखें तथा कमिटी से जांच कराने के उपरांत जाति प्रमाण पत्र निर्गत करना सुनिश्चित करें। अभ्यावेदक इस सूची के साथ जिला कलेक्टर को आवेदन देकर इसकी जांच के लिए निवेदन कर सकते हैं। इस मामले मे जिला कलेक्टर प्रगति रिपोर्ट/ अन्तरिम रिपोर्ट 15 दिन के अंदर आयोग को भिजवायें।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

परिशिष्ट - क

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F.No.- GCG/7/2017/STGUP/SEOTH/RU-III)

श्री राधेश्याम गोंड, जिला अध्यक्ष, अखिल भारतीय गोंड आदिवासी संघ, ग्राम- नरकटिया खुर्द पोस्ट- कसया, जिला- कुशीनगर, उत्तर प्रदेश द्वारा कुशीनगर जिले मे गोंड जाति के व्यक्तियों का जाति प्रमाण पत्र निरस्त करने और गोंड को पिछड़ी जाति मे घोषित करने के मामले में आयोग को प्राप्त अभ्यावेदन पर सुश्री अनुसुईया उइके, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 12.04.2018 को आयोग में आयोजित सीटिंग मे उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची-

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

1. सुश्री अनुसुईया ऊइके, माननीय उपाध्यक्ष
2. श्री पी.टी. जेम्सकुट्टी, उप सचिव
3. श्री गौरव कुमार, उपाध्यक्ष के निजी सचिव
4. श्री राजेश्वर कुमार, सहायक निदेशक
5. श्री एच.आर. मीणा, वरिष्ठ अन्वेषक

उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारी

1. श्री आन्द्रे वामसी, जिला कलेक्टर, कुशीनगर

अभ्यावेदक

1. श्री राधेश्याम गोंड एवं अन्य